بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The sadar Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश खुत्बः जुम्अः सैय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीहिल अलख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक **27.01.17** मस्जिद बैतुल फ़तूह लंदन।

प्रत्येक काम के उत्तम परिणाम पैदा करने के लिए स्थाई स्वभाव शर्त है

ज़ैली तंज़ीमें भी तथा जमाअती निज़ाम भी अपने काम तथा विशेष रूप से वह काम जिसको अल्लाह तआला ने हमारे जीवन का उद्देश्य घोषित किया है उसके लिए ऐसी योजना बनाएँ कि समय के साथ सुस्ती तथा कमज़ोरी के बजाए प्रत्येक दिन प्रगति की ओर ले जाने वाला हो।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया- पिछले ख़ुत्बः में मैंने नमाज़ों के महत्त्व तथा इनकी आदयगी की ओर ध्यान दिलाया था। कई लोगों के मुझे व्यक्तिगत पत्र आए तथा अपनी सुस्तियों पर लज्जित हुए। कई स्थानों से जमाअती निज़ाम तथा ज़ैली तंज़ीमों के पत्र आए कि निःसन्देह इस काम में सुस्ती है और भविष्य में इस ओर ध्यान दिलाने की सुदृढ़ योजना बना रहे हैं तथा यह भी कि इन्शाअल्लाह भविष्य में भरसक प्रयास करेंगे कि सुस्तियाँ दूर हों। अल्लाह तआला इन सबको इसका सामर्थ्य प्रदान करे और हमारी मस्जिदें वास्तव में आबादी के भर पूर दृश्य पेश करने वाली हों। परन्तु इंतज़ामियः को सदैव याद रखना चाहिए कि प्रत्येक काम के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ स्वभाव अनिवार्य है। आरम्भ में तो, हममें से कुछ ऐसे हैं जो बड़े उत्साह पूर्वक कार्य आरम्भ करते हैं परन्तु फिर कुछ समय पश्चात सुस्ती पैदा होनी शुरु हो जाती है। यह मानव प्रकृति भी है, लोगों में सुस्ती पैदा होना इतने भयानक परिणाम नहीं पैदा करता, यद्यपि यह भी बड़ी चिंता जनक बात है परन्तु निज़ाम में सुस्ती पैदा होना तो अत्यंत भयानक बात है। यदि लोगों को ध्यान दिलाने वाला निज़ाम ही सुस्त हो जाए अथवा अपने काम में अरूचि अभिव्यक्त करने लगे तो फिर लोगों का सुधार भी कठिन हो जाता है।

ज़ैली तंज़ीमें भी तथा जमाअती निज़ाम भी अपने काम तथा विशेष रूप से वह काम जिसको अल्लाह तआला ने हमारे जीवन का उद्देश्य घोषित किया है उसके लिए ऐसी योजना बनाएँ कि समय के साथ सुस्ती तथा कमज़ोरी के बजाए प्रत्येक दिन प्रगति की ओर ले जाने वाला हो। हमारी इबादतों की प्रगति ही हमें सफलता दिलाने वाली है। अतः यह बड़ी महत्त्व पूर्ण चीज़ है। समूचे निज़ाम को इस विषय में गम्भीर होने की आवश्यकता है। लजना अमाउल्लाह को भी इस बारे में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों की नमाज़ों की घरों में निगरानी करना तथा उन्हें नमाज़ों की आदत डालना तथा पुरुषों एवं युवाओं को मस्जिदों में जाने के लिए निरन्तर ध्यान दिलाते रहना, यह महिलाओं का काम है। यदि महिलाएँ अपनी भूमिका निभाएँ तो बहुमूल्य परिवर्तन आ सकता है। इसी प्रकार मैं यहाँ ऐसे लोगों की बात को भी ठीक करना चाहता हूँ जो यह कहते हैं कि हमें नमाज़ों के विषय में कुछ न कहो, न ही कुछ पूछो क्यूँकि यह हमारा तथा ख़ुदा का मामला है। कई महिलाओं की शिकायत आती है कि यदि हम अपने पतियों को ध्यान दिलाएँ तो वे लड़ना शुरु हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि निःसन्देह यह बन्दे और ख़ुदा का मामला है लेकिन ध्यान दिलाना और पूछना निज़ाम-ए-जमाअत का काम है, इसी प्रकार पत्नियों का भी काम है बल्कि उनका कर्त्तव्य है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पति पत्नि दोनों को यह उपदेश दिया है कि जो नमाज़ के लिए पहले जागे वह दूसरे को नमाज़ के लिए जगाए और यदि न जागे अथवा सुस्ती दिखाए तो पानी के छींटे मारे। अतः यह सोच ग़लत है कि हम इस मामले में स्वतंत्र हैं, हमारा और ख़ुदा का मामला है। जिस निज़ाम से अपने आपको जोड़ रहे हैं यदि वह अपनी जमाअत का निरीक्षण करने के लिए नमाज़ों की अदायगी के विषय में पूछता है तो चिड़ने और क्रोधित होने के बजाए सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक को नमाज़ों के महत्त्व का आभास होना चाहिए तथा बड़ी व्यवस्था पूर्वक अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार अमल करने का प्रयास करना चाहिए।

इसका ध्यान दिलाने के पश्चात अब मैं नमाज़ों के विषय में कुछ बातें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश करुंगा जो साधारणतः फ़िक़्ही (शरीअत के विस्तृत नियम) बातों से सम्बंध रखते हैं। इन्हीं बातों में से एक बात रफ़ायदैन की है, अर्थात नमाज़ की प्रत्येक तकबीर पर तथा प्रत्येक हरकत पर हाथ उठाना, ऊपर कानों से लगाना। अतः रफ़यदैन के बारे में आपने फ़रमाया कि इसमें कोई बुराई नहीं, चाहे कोई करे या न करे, हदीसों में भी इसका वर्णन दोनों रूप में आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कभी रफ़ायदैन किया है तथा बाद में करना छोड़ दिया।

साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि मुझसे मियाँ अब्दुल्लाह साहब सनोरी ने बयान किया कि पहले मैं बड़ा ग़ैर मुक़ल्लिद (इमामों का अनुसरण न करने वाला) था तथा रफ़ायदैन और आमीन बिलजहर का बड़ा पाबन्द था अर्थात ऊँची आवाज़ में आमीन कहना, और हज़रत साहब से मुलाक़ात के बाद भी मैंने यही रीति लम्बे समय तक जारी रखी। एक अवधि के पश्चात एक बार जब मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ के बाद आपने मुझसे मुस्कुराकर फ़रमाया कि मियाँ अब्दुल्लाह, अब तो इस सुन्नत का बहुत अनुसरण हो चुका है और संकेत रफ़ायदैन की ओर था। अर्थात- मियाँ अब्दुल्लाह साहब कहते हैं कि उस दिन से मैंने रफ़ायदैन करना छोड़ दिया बल्कि आमीन को ऊँची आवाज़ के साथ कहना भी छोड़ दिया। और मियाँ अब्दुल्लाह साहब बयान करते हैं कि मैंने हज़रत साहब को कभी रफ़ायदैन करते अथवा आमीन बिलजहर कहते नहीं सुना और न कभी बिस्मिल्लाह को ऊँची आवाज़ के साथ पढ़ते सुना। मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब फ़रमाते हैं कि विनीत का कहना है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा वही था जो मियाँ अब्दुल्लाह साहब ने बयान किया।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- लेकिन हम अहमदियों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी और आपके बाद आजतक भी यही तरीक़ा रहा है कि इन बातों में कोई एक दूसरे पर आपत्ति नहीं करता। कुछ लोग आमीन बिलजहर करते हैं, ऊँची आवाज़ में कह देते हैं, कुछ नहीं कहते। कुछ लोग रफ़ायदैन करते हैं, अधिकांश लोग नहीं करते तथा अब तो बिल्कुल नहीं किया जाता। केवल उन लोगों को छोड़कर जो बिल्कुल नए आने वाले हैं तथा इसके अभयस्त हैं और वे भी धीरे धीरे छोड़ देते हैं।

फिर एक सवाल होता है कि नमाज़ में हाथ बाँध कर जब खड़े होता है इंसान क़्याम में, तो उस समय हाथ कहाँ बाँधे जाएँ। हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि मुझसे मौलवी सय्यद मुहम्मद सरवर शाह साहब ने बयान किया कि एक बार हज़रत ख़लीफ़-ए-अव्वल के पास किसी का पत्र आया कि जब इंसान खड़ा हो नमाज़ के लिए नीयत बाँध के, तो उस समय हाथ किस प्रकार बाँधने हैं। पत्र आया, कि क्या नमाज़ में नाभि से ऊपर हाथ बाँधने के बारे में कोई सही हदीस भी मिलती है? हज़रत मौलवी साहब ने यह पत्र हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया तथा निवेदन किया कि इस विषय पर जो हदीसें मिलती हैं वे जिरह (समीक्षा) से वंचित नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मौलवी साहब आप तलाश करें अवश्य मिल जाएगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि बावजूद इसके कि आरम्भिक आयु में भी हमारे आस पास सब हनफ़ी थे, मुझे नाभि के नीचे हाथ बाँधना कभी पसन्द नहीं हुआ बल्कि स्वभाव का झुकाव सदैव नाभि से ऊपर हाथ बाँधने की ओर रहा है तथा हमने कई बार देखा है कि जिस बात की ओर हमारे स्वभाव का झुकाव हो, वह बात खोजने से हदीस से अवश्य निकल आती है। अतः आपने ख़लीफ़ः अव्वल को फ़रमाया कि आप तलाश करें अवश्य हदीस मिल जाएगी क्यूँकि मेरा झुकाव जिस ओर है, साधारणतः मैंने देखा है कि हदीसें इस बारे में मिल जाती हैं। मौलवी सरवर साहब बयान करते हैं कि इस पर हज़रत मौलवी साहब गए और लगभग आधा घन्टा भी न हुआ था कि ख़ुशी ख़ुशी एक किताब हाथ में लेकर आए और हज़रत साहब को सूचना दी कि हुज़ूर हदीस मिल गई है तथा हदीस भी ऐसी है जो इस्लाम के विद्वानों के अनुसार उच्चस्तरीय है अर्थात इस पर हज़रत अबूबकर और हज़रत उमर दोनों सहमत हैं, जिस पर कोई विरोधाभास नहीं है।

एक व्यक्ति ने सवाल किया कि अत्तहियात के समय अंगुश्त सबाबा क्यूँ उठाते हैं अर्थात शहादत की उंगली, तो आपने फ़रमाया कि लोग ज़मान-ए-जाहिलियत (इस्लाम से पूर्व का युग) में गालियों के लिए यह उंगली उठाया करते थे इस लिए इसको सबाबा कहते हैं अर्थात गाली देने वाली उंगली। ख़ुदा तआला ने अरब का सुधार फ़रमाया तथा वह प्रवृत्ति हटाकर फ़रमाया कि ख़ुदा को एक अकेला, बिना किसी साझी के कहते समय यह उंगली उठाया करो ताकि इसके द्वारा वह पुराना दोष मिट जाए अर्थात इसका जो ग़लत नाम रखा है, गालियाँ देने वाली उंगली, यह गालियाँ देने वाली उंगली न रहे बल्कि शहादत की उंगली हो जाए। ऐसे ही अरब के लोग पाँच समय मदिरा सेवन करते थे इसके बदले में पाँच समय की नमाज़ रखी।

फिर रुकूअ व सजदे में क़ुर्आन की दुआ करने के बारे में सवाल हुआ, मौलवी अब्दुल क़ादिर साहब लुधियानवी ने सवाल किया कि रुकूअ व सजदे में क़ुर्आन की आयतें अथवा दुआ का पढ़ना कैसा है? आपने फ़रमाया कि सजदा तथा रुकूअ

विनयता की मुद्रा है और ख़ुदा तआला का कलाम महानता का द्योतक है, इसके अतिरिक्त हदीसों से कहीं भी प्रमाणित नहीं कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रुकूअ अथवा सजदे में कोई क़ुर्आनी दुआ पढ़ी हो।

फिर ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ी. से किसी ने एक बार यह सवाल किया कि सजदे में क़ुर्आन की दुआओं का पढ़ना क्यूँ उचित नहीं, जबकि सजदा अत्यंत विनयता की मुद्रा है? आपने फ़रमाया कि मेरी तो यही आस्था रही है कि सजदे में दुआओं का पढ़ना उचित है परन्तु बाद में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक ऐसा हवाला मिला जिसमें आपने सजदे की अवस्था में क़ुर्आन की दुआओं का पढ़ना अनुचित फ़रमाया है, इसी प्रकार मुसनद अहमद बिन हंम्बल में भी इसी विषय पर एक हदीस मिल गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से एक बात मिल गई तो फिर इसके विपरीत मार्ग अपनाना उचित नहीं, यद्यपि वह हमारी बुद्धि में न समाए, हमने तो आदेशानुसार अनुसरण करना है।

इस बात का वर्णन हुआ कि जो व्यक्ति नमाज़ में आकर रुकूअ में शामिल हो उसकी रक्अत होती है कि नहीं? हज़रत अक़दस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हमारा तरीक़ा तो यही है कि **ला सलातः इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब।** अर्थात- आदमी इमाम के पीछे हो अथवा अकेला हो, प्रत्येक दशा में उसको चाहिए कि सूरः फ़ातिहः पढ़े, परन्तु इमाम को चाहिए कि ठहर ठहर कर पढ़े ताकि पीछे का नमाज़ी सुन भी ले तथा अपनी पढ़ भी ले अथवा प्रत्येक आयत के बाद इमाम इतना ठहर जाए कि पीछे नमाज़ पढ़ने वाला भी इस आयत को पढ़ ले। अतः नमाज़ी के लिए इतना समय होना चाहिए कि वह सुन भी ले तथा अपनी पढ़ भी ले, सूरः फ़ातिहः का पढ़ना अनिवार्य है क्यूँकि वह उम्मुल किताब (क़ुर्आन का सार) है। परन्तु जो व्यक्ति अपने प्रयास के बावजूद, जो वह नमाज़ में शामिल होने के लिए करता है, रुकूअ के अन्त में आकर मिलता है और उससे पहले नहीं मिल सका तो उसकी रक्अत हो गई यद्यपि उसने सूरः फ़ातिहः उसमें नहीं पढ़ी, क्यूँकि हदीस शरीफ़ में आया है कि जिसने रुकूअ को पा लिया उसकी रक्अत हो गई। हाँ, जो व्यक्ति जान बूझकर सुस्ती करता है तथा जमाअत के साथ शामिल होने में देर करता है तो उसकी नमाज़ ही व्यर्थ है।

एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति इमाम के पीछे नमाज़ में अल-हम्द न पढ़े तो क्या उसकी नमाज़ होती है कि नहीं? हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह सवाल नहीं करना चाहिए कि नमाज़ होती है कि नहीं। यह प्रश्न करना चाहिए कि इमाम के पीछे नमाज़ में अल-हम्द पढ़ना चाहिए कि नहीं। हम कहते हैं कि अवश्य पढ़नी चाहिए, होना या न होना तो ख़ुदा तआला को मालूम है, हनफ़ी नहीं पढ़ते, और हज़ारों औलिया हनफ़ी तरीक़े के पाबन्द थे तथा इमाम के पीछे अल-हम्द नहीं पढ़ते थे यदि उनकी नमाज़ न होती तो वे औलिया अल्लाह कैसे हो गए? क्यूँकि हमें इमामे आज़म (इमाम अबू हनीफ़ः रह.) से साथ एक विशेष सम्बंध है तथा हम इमाम-ए-आज़म का बड़ा आदर करते हैं, हम यह फ़त्वा नहीं दे सकते कि नमाज़ नहीं होती। उस ज़माने में सभी हदीसों का संकलन नहीं हुआ था तथा यह भेद जोकि अब खुला है, पहले नहीं खुला था इस लिए वे विवश थे और अब इस समस्या का समाधान हो चुका है, अब यदि नहीं पढ़ेगा तो निःसन्देह उसकी नमाज़ क़बूलियत के स्तर को नहीं पहुंचेगी।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- नमाज़ें कई बार जमा हो जाती हैं, ज़ोहर अस्र की और मग़रिब इशा की। बाद में आने वालों को ठीक से पता नहीं होता। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ी. फ़रमाते हैं कि मैंने स्वयं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से सुना है कि यदि इमाम अस्र की नमाज़ पढ़ा रहा हो और एक ऐसा व्यक्ति मस्जिद में आ जाए जिसने अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी हो अथवा इशा की नमाज़ हो रही हो और एक ऐसा व्यक्ति मस्जिद में आ जाए जिसने अभी मग़रिब की नमाज़ पढ़नी हो, उसे चाहिए कि वह पहले ज़ोहर की नमाज़ अलग से पढ़े और फिर इमाम के साथ शामिल हो या मग़रिब की नमाज़ पहले अलग से पढ़े और फिर इमाम के साथ शामिल हो।

नमाज़ें जमा करने की अवस्था में भी यदि कोई बाद में मस्जिद में आता है जबकि नमाज़ हो रही हो तो उसके विषय में भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यही फ़त्वा है कि यदि उसे पता चल जाए कि इमाम अस्र की नमाज़ पढ़ा रहा है तो वह पहले ज़ोहर की नमाज़ अलग से पढ़े और फिर इमाम के साथ शामिल हो। इसी प्रकार यदि उसे पता लग जाता है कि इमाम इशा की नमाज़ पढ़ा रहा है तो वह पहले मग़रिक की नमाज़ पढ़े और फिर इमाम के साथ शामिल हो परन्तु यदि उसे मालूम न हो सके कि यह कौनसी नमाज़ पढ़ी जा रही है तो वह जमाअत के साथ शामिल हो जाए। ऐसी अवस्था में जो इमाम की नमाज़ होगी वही नमाज़ उसकी हो जाएगी, बाद में वह अपनी पहली नमाज़ पढ़ ले। उदाहरणतः यदि इशा की नमाज़ हो रही है तथा एक ऐसा व्यक्ति मस्जिद में आ जाता है जिसने अभी मग़रिब की नमाज़ पढ़नी है तो उसे यदि पता चल जाता है कि यह इशा की नमाज़ है तो वह मग़रिब की नमाज़ पहले अलग से पढ़े फिर इमाम के साथ शामिल हो परन्तु यदि उसे पता न चल सके कि यह कौनसी

नमाज़ हो रही है तो वह इमाम के साथ शामिल हो जाए इस अवस्था में कि उसकी इशा की नमाज़ हो जाए, मग़रिब की नमाज़ वह बाद में पढ़ ले, यही निर्देश अस्र की नमाज़ के सम्बंध में है।

शेख़ याक़ूब अली साहब इरफ़ानी लिखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नियम आरम्भ से ही यह था कि आप सुन्नतें व नफ़्लें घर पर पढ़ा करते थे तथा फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ मस्जिद में पढ़ा करते थे, यह नियम आपका अन्तिम समय तक रहा। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल रज़ीअल्लाहु तआला अन्हु ने एक बार क़ुर्आन मजीद के दर्स के समय फ़रमाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की यह आदत थी कि आप फ़र्ज़ पढ़ने के बाद तुरन्त घर के भीतर चले जाते थे और ऐसी अधिकांशतः मैं भी करता हूँ। इसके द्वारा कुछ नादान बच्चों को भी सम्भवतः यह आदत हो गई है कि वे फ़र्ज़ पढ़ने के पश्चात तुरन्त मस्जिद से चले जाते हैं और हमारा विचार है कि वे सुन्नतों की अदायगी से रह जाते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि हज़रत साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्दर जाकर सबसे पहले सुन्नतें पढ़ा करते थे, ऐसा ही मैं भी करता हूँ।

इस विषय में सवाल हुआ कि इमामत को व्यवसाय के रूप में धारण करना चाहिए कि नहीं? फ़रमाया- जिन्होंने इमामत को व्यवसाय के रूप में धारण किया हुआ है वे पाँच समय जाकर नमाज़ नहीं पढ़ते बल्कि एक दुकान है कि इन समय पर जाकर खोलते हैं तथा इसी दुकान के द्वारा इनका और इनके परिवार जीवन यापन है। अतः यह इमामत नहीं, यह तो गन्द खाने का एक अनुचित ढंग है। फ़रमाया- मेरी दृष्टि में जो लोग व्यवसाय के रूप में नमाज़ पढ़ाते हैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ना अनुचित है, वे अपनी जुमेरात की रोटियों अथवा वेतन के स्वार्थ में नमाज़ पढ़ाते हैं, यदि न मिले तो छोड़ दें।

फिर जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को काफ़िर कहने वाले हैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के विषय में फ़रमाया कि नास्तिक कहने वाले तथा झुठलाने का मार्ग ग्रहण करने वाले, विनाश पूर्ण क़ौम हैं इस लिए वे इस योग्य नहीं कि मेरी जमाअत में से कोई व्यक्ति उनके पीछे नमाज़ पढ़े। क्या जीवित, मृत के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है? अतः याद रखो जैसा ख़ुदा ने मुझे सूचना दी है, तुम्हारे पर हराम है तथा पूर्णतः हराम है कि किसी इंकार करने वाले, झुठलाने वाले या विमुख होने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ो बल्कि चाहिए कि तुम्हारा वही इमाम हो जो तुममें से हो। इसी की ओर बुख़ारी की हदीस में संकेत है कि इमामुकुम मिनकुम।

दो आदमियों ने बैअत की, एक ने प्रश्न किया कि ग़ैर अहमदी के पीछे नमाज़ उचित है कि नहीं? फ़रमाया- वे लोग हमको काफ़िर कहते हैं, यदि हम काफ़िर नहीं हैं तो वह बात लौट कर उन पर पड़ती है। मुसलमान को काफ़िर कहने वाला स्वयं काफ़िर है। इस लिए ऐसे लोगों के पीछे नमाज़ जायज़ नहीं। फ़रमाया- जो चुप हैं, जो कुछ नहीं कहते, वे भी उन्हीं में शामिल हैं, उनके पीछे भी नमाज़ जायज़ नहीं क्यूँकि वे अपने दिल के अन्दर कोई विरोधी धर्म रखते हैं जो प्रत्यक्षतः हमारे साथ शामिल नहीं होते। तुम यदि उनमें रले मिले रहे तो ख़ुदा तआला जो विशेष दृष्टि के द्वारा तुमको देखता है, वह नहीं देखेगा? जब पवित्र समुदाय पृथक विद्यमान हो तो फिर उसमें प्रगति होती है। अल्लाह तआला हमें विशुद्ध होकर इस जमाअत का व्यक्ति बनने का सामर्थ्य प्रदान करे जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमसे चाहते हैं।

ख़ुत्बः जुम्अः के अन्त में हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- अल-जज़ायर के अहमदियों के लिए दुआ के लिए कहना चाहता हूँ। यह नई जमाअत है, इनमें से अधिकांश लोग नौमुबाओन हैं परन्तु बड़े मज़बूत ईमान वाले हैं। आजकल शासन की ओर से बड़ी कठोरता दिखाई जा रही है। अकारण ही मुक़दमे बनाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। आरोप यह है कि यह भी इसी प्रकार है जिस प्रकार दाअिश है, नऊज़ु बिल्लाह। जज हैं वे भी अन्याय कर रहे हैं बल्कि अति की हुई है। एक अहमदी से जज ने कहा कि यदि तुम इंकार कर दो अहमदियत से, तो मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा- मैं मर जाऊँगा लेकिन अहमदियत नहीं छोड़ूंगा, अपने ईमान को नहीं छोड़ूंगा क्यूँकि यही वास्तविक इस्लाम है जो मुझे अब पता लगा है। इस जज ने कहा- अच्छा अब तुमने यह कहा है तो मैं तुम्हें पूरी आयु तक जेल में रखूंगा और तुम जेल में मरोगे। उसने कहा- ठीक है, जो आपने करना है, करें। तो ये परिस्थितियाँ हैं वहाँ आजकल।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- अल्लाह तआला अहमदियों के लिए सुविधाएँ पैदा फ़रमाए वहाँ, और उन्हें दृढ़ संकल्प भी प्रदान करे, और विरोधी तथा इस्लाम के जो दुश्मन हैं, अहमदियत के जो दुश्मन हैं, जो षड्यन्त्र कर रहे हैं, अल्लाह तआला उनकी योजनाएँ उन पर उलटाए और अल्लाह तआला प्रत्येक अहमदी को इन अत्याचारियों से अपनी शरण में रखे।